उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या- 24/2015/**1687(1)60-3-2015-13(11)/14टीसी-2**

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2015

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन अधिसूचना संख्या-1687/60-3-2015-13(11)/14टीसी-2**,** दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली-2015 प्रख्यापित की गयी है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली (तृतीय संशोधन-2015) की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।

11- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।

12- कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।

13- कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय तथा कोष की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

14- उप निदेशक, **(**प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ, इस अनुरोध सहित कि इस नियमावली की 1000 मुद्रित प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

नन्दलाल प्रसाद

उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

संख्या-24/2015/**1687/60-3-2015-13(11)/14टीसी-2**

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-154 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उ0प्र0 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली-2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-1**(2)** तथा संलग्नक-1-क-पीड़िताओं के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान-की तालिका के क्र0सं0-1 के स्तम्भ-5 खण्ड-2 के स्थान पर नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
नियम-1 **(2)** का संशोधन	**विद्यमान नियम** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। परन्तु, एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िताओं को चिकित्सीय और आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये राज्य सरकार ऐसी पूर्वगामी तिथि नियत कर	**एतदद्वारा संशोधित नियम** यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। परन्तु, यह कि पूर्व के एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िताओं को पृथक-पृथक गुण-दोष के आधार पर परीक्षणोंपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	सकती है, जिस तिथि से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।	चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये यह नियमावली पूर्वगामी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
संलग्नक-1-क- पीड़िताओं के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान- की तालिका के क्र0स0-1 का संशोधन	स्तम्भ-5 खण्ड-2 रू0-5,00,000.00 **(**रू0 पॉच लाख मात्र**)** **(**चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक और मुख, कान, ऑख के कार्य बाधित हाने की दशा में अथवा 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में**)**	स्तम्भ-5 खण्ड-2 रू0-5,00,000.00 **(**रू0 पॉच लाख मात्र**)** **(**चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत और उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक और मुख, कान, ऑख <u>या शरीर के किसी अन्य भाग के</u> कार्य बाधित हाने की दशा में अथवा शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में**)**

आज्ञा से,

रेणुका कुमार

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।